विविध **बैंक प्रकरण संख्या 77/2022.**(GCMS : **2022/115**) **भारतीय स्टेट बैंक** जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मनीष कुमार शाखा प्रबन्धक, शाखा सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.) **<u>बनाम</u> <u>1.</u> मैसर्स आर. के. फैशन** जरिये प्रोपराइटर श्री सूरज मदान पुत्र श्री सतपाल दुकान नं 23, पुरानी धान मंडी, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.) 2. कृष्णा देवी पत्नी सतपाल, वार्ड नं 05, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर एवं दुकान नं. 23/2 (पूर्व मुखी), पुरानी धान मंडी, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>08.06.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 25.04.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स आर.के. फैशन–प्रो. सूरज मदान एवं कृष्ण देवी को ऋण सुविधा के रूप में 17.50/– लाख रूपये (अखरे रूपये सतरह लाख पचास हजार मात्र) का ऋण दिनांक 15.12.2012 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी कृष्णा देवी ने अपनी व्यवसायिक संपत्ति दुकान नं. 23/2 (पूर्व मुखी) (क्षेत्रफल 10'9'' गुणा 55''), पुरानी धान मंडी,सादुलशहर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 29.03.2020 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 07.10.2021 को 16,97,970/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 07.10.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:57:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थी मैसर्स आर.के. फैशन–प्रो. सूरज मदान एवं कृष्ण देवी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 12.01.2022 को भिजवाये गये है **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी कृष्णा देवी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास अपनी व्यवसायिक संपत्ति दुकान नं. 23/2 (पूर्व मुखी) (क्षेत्रफल 10'9'' गुणा 55''), पुरानी धान मंडी,सादुलशहर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी आर.के. फैशन–प्रो. सूरज मदान एवं कृष्ण देवी को 17.50/– लाख रूपये (अखरे रूपये सत्रह लाख पचास हजार मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति 15.12.2012 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी कृष्णा देवी **द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी** व्यवसायिक संपत्ति दुकान नं. 23/2 (पूर्व मुखी) (क्षेत्रफल 10'9'' गुणा 55''), पुरानी धान मंडी,सादुलशहर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **29.03.2020 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 07.10.2021 को जारी किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 12.01.2022 को भिजवाया गया, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के [illegible]स्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:57:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी कृष्णा देवी द्वारा अपनी व्यवसायिक संपत्ति दुकान नं. 23/2 (पूर्व मुखी) (क्षेत्रफल 10'9'' गुणा 55''), पुरानी धान मंडी,सादुलशहर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा हुआ है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 07.10.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 07.10.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 12.01.2022 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी कृष्णा देवी के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:57:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी कृष्णा देवी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई व्यवसायिक संपत्ति दुकान नं. 23/2 (पूर्व मुखी) (क्षेत्रफल 10'9'' गुणा 55''), पुरानी धान मंडी,सादुलशहर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट,
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:57:25 IST
Reason: SelfAttested